

बिहार राज्य सरकारी कर्मचारी संघ

Bihar State Government Employees Association

राज्य कार्यालय :- पोस्ट बॉक्स नं०-142, पटना-800001, विधेयालय (पुष्पीपुर गली नं०-2)

पत्रांक :-

76/3115

दिनांक:- 27/5/15

प्रेषक,

विपिन बिहारी राय,
महामंत्री।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष/ सभी जिला पदाधिकारी।
बिहार, सरकार।

27/5/2015

विषय -

सामान्य प्रशासन विभाग अन्तर्गत उच्च स्तरीय समिति के समक्ष संविदा पर नियोजित कर्मियों से संबंधित मामले उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग -

सामान्य प्रशासन विभाग पत्र सं०- उ०स्त०स०/ सा०प्र०-01/ 2015-
सा०प्र०-002, दिनांक 19.05.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संबंध में निवेदन पूर्वक कहना है कि सरकार के प्रधान सचिव सह सदस्य सचिव उच्च स्तरीय समिति (संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों के नियमितीकरण हेतु) द्वारा संविदा पर नियोजित विभिन्न संवर्ग के कर्मचारियों के नियमितीकरण पर विचार हेतु वांछित सूचना की मांग की गई है। (छायाप्रति संलग्न) विभिन्न विभाग अन्तर्गत निदेशालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में विभिन्न संवर्ग के पदों पर यथा अनुसेवक, डाटा ईन्ट्री ऑपरेटर, निम्न वर्गीय लिपिक, सांख्यिकी सहायक, लेखापाल सह भंडारपाल, अन्य तकनीकी पद एवं पर्यवेक्षकीय / निरीक्षकीय आदि पदों पर विभागीय निदेशानुसार रिक्त एवं स्वीकृत पदों के विरुद्ध विधिवत् प्रक्रियाओं का पालन करते हुए संविदा के आधार पर नियोजन किया गया है तथा सम्प्रति कार्यरत हैं।

अतः महासंघ/ संघ का अनुरोध है कि उच्च स्तरीय समिति द्वारा मांगी गयी सूचनाएँ सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव सह सदस्य सचिव उच्च स्तरीय समिति को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि संबंधित कर्मचारियों के नियमितीकरण पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा विचार किया जा सके।

भवदीय
(विपिन बिहारी राय)
महामंत्री

ज्ञापांक :-

76/3115

दिनांक:- 27/5/15

प्रतिलिपि :-

श्री अशोक कुमार चौधरी (भा.प्र.से. 1975) सेवा निवृत्त मुख्य सचिव बिहार सरकार सह उच्च स्तरीय सेवा नियमितीकरण समिति अध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।

महामंत्री

9 TM, 642
P1-5 can emp
Car
28/5/15

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव-सह-
सदस्य सचिव, उच्चस्तरीय समिति ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव

पटना-15, दिनांक : 17 मई, 2015

विषय :- समिति के समस्त संविदा पर नियोजित कर्मियों से संबंधित मामले उपलब्ध
कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या-6862
दिनांक 12.05.2015 के द्वारा संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों के नियमितीकरण के
लिए श्री अशोक कुमार चौधरी, भा०प्र०से० (72), सेवानिवृत्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में
उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है ।

समिति के अध्यक्ष द्वारा संविदा पर नियोजित कर्मियों के नियमितीकरण पर
विचारण हेतु आपके विभाग में संविदा पर नियोजित कर्मियों के संबंध में निम्नलिखित
सूचना की मांग की गयी है-

1. प्रत्येक पद जिसपर नियोजन किया गया है, का पदनाम ।
2. पदवार कुल नियोजित कर्मियों एवं कुल कार्यरत कर्मियों की संख्या ।
3. किस योजना/परियोजना इत्यादि के लिए यह नियोजन किया गया था तथा क्या यह
योजना केंद्रीय या राज्य की योजना थी ?
4. नियोजन का पद किस श्रेणी का है (समूह 'ग' या 'घ') ।
5. क्या यह पद स्वीकृत था ? अगर हाँ तो, स्वीकृत्यादेश/पद सृजन आदेश ।
6. क्या प्रत्येक बार का नियोजन रिक्ति के विरुद्ध हुआ था अथवा नहीं ?
7. नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन/नोटिस इत्यादि की छायाप्रति (प्रत्येक पद के लिए
जितने बार नियोजन किया गया है, उन सब की छायाप्रति उपलब्ध करायी जाय) ।
8. नियोजन हेतु चयन की प्रक्रिया ।
9. पदवार निर्धारित न्यूनतम अहर्ता ।
10. क्या नियोजित कर्मी वांछित पदीय अहर्ता रखते थे अथवा नहीं ।
11. नियोजन के समय आरक्षण अधिनियम का पालन हुआ है अथवा नहीं ।
12. नियोजन हेतु 'नियुक्ति/नियोजन पदाधिकारी' ।

13. उपर्युक्त 'नियुक्ति/नियोजन पदाधिकारी' को नियोजन की तिथि को इस प्रकार के नियोजन की शक्ति प्रदत्त थी अथवा नहीं ।
14. नियोजन पत्र/अनुबंध पत्र का नमूना (प्रत्येक पद पर प्रत्येक बार की नियोजन प्रक्रिया के लिए) ।
15. प्रथम नियोजन के समय निर्धारित नियोजन अवधि ।
16. प्रत्येक सेवावधि विस्तार हेतु निर्धारित मानक ।
17. प्रत्येक सेवावधि विस्तार आदेश का नमूना ।
18. प्रत्येक पदवार मानवेय/पारिश्रमिक/वेतन/Consolidated Pay इत्यादि की भुगतये राशि ।
19. जिस शीर्ष/मद से भुगतान हो रहा है, उसकी विवरणी ।
20. जिस नियमावली/संकल्प/परिपत्र के अंतर्गत इन पदों पर नियोजन की प्रक्रिया हुई है, उनकी छायाप्रति (मूल एवं सभी संशोधनों के साथ) ।

चूंकि इस महत्वपूर्ण विषय पर विचारण हेतु समिति के लिए मात्र तीन माह की अल्पावधि निर्धारित है, अतः अनुरोध है कि वांछित प्रतिवेदन यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

(मह—
(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव—सह—
सदस्य सचिव, उच्चस्तरीय समिति

ज्ञापक : उ०स्त०स०/सा०प्र०-०१/२०१५-सा०प्र०-००१ /पटना, दिनांक : १७.०५.२०१५-
प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(मह—
सरकार के प्रधान सचिव—सह—
सदस्य सचिव, उच्चस्तरीय समिति

ज्ञापक : उ०स्त०स०/सा०प्र०-०१/२०१५-सा०प्र०-००१ /पटना, दिनांक : १७.०५.२०१५

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
साथ ही, आपको निदेश दिया जाता है कि जिला स्तर पर संविदा पर नियोजित कर्मियों के संबंध में उपर्युक्त वांछित सूचना संबंधित विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

(मह—
सरकार के प्रधान सचिव—सह— १७.५.१५
सदस्य सचिव, उच्चस्तरीय समिति